22/9/18. अभिलेख उपस्थापित / राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार मौजा पडरा थाना नं० 41 थाना कैंडारी के अंतर्गत खाता नं० 4 एवं 17 का खतियान हल्का कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। राजस्व पंजी एवं राजस्व कागजातों के आधार पर उक्त भूमि रैयती खाते की है। आवेदक लहदेव उरॉव पिता स्व० फुलदेव उरॉव के द्वारा प्रस्तुत रसीद सं. 3H/16 A192582 पृष्ट सं. 117/I लघुन्नी देवी ग्राम पडरा थाना कैरेडारी खाता सं० 17 वर्तमान पंजी II से मिलान करने पर पाया गया की जमाबंदी कायम नहीं है। प्रस्तुत रसीद सही प्रतीत नहीं होता है। खाता सं. 4 का प्रस्तुत रसीद को वर्तमान पंजी II से मिलान करने पर हाल पंजी II पृष्ठ सं. 4/I रकबा 7.44 ए० पुनई मांदी पिता चमई मांदी के नाम दर्ज है एवं रसीद वर्ष 2011-12 तक इन्द्राज है। स्थल जाँच के क्रम में खाता सं. 17 प्लाट नं० 135, 138, 25 रकबा 2.40 ए० के संदर्भ में ग्रामीणों से पुछताछ में बताया गया कि पूर्व में ही भूमि निलाम हो चुकी है। ग्राम पडरा थाना कैरेडारी के अंतर्गत खाता नं. 4 का वंशज लहदेव उरॉव, बाबुलाल उरॉव पिता चन्द्रदेव उरॉव, विजय उरॉव पिता रमधान उरॉव ने बताया की खाता नं. 4 का मौखिक बंटवारा के आधार पर अपने हिस्से की भूमि को जोत कोड़ करते आ रहे हैं। इनके द्वारा खाता नं० 4 एवं 17 का प्रस्तुत खतियान का छायाप्रति

के नाम से है, जो सही प्रतीत नहीं होता है।

अंचल निरीक्षक द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि विवादित है, अतः मामला सक्षम न्यायालय से संबंधित है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मापी स्थगित किया जाता है एवं अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

अंचल अधिकारी
कटोरिया।